प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(संलग्न–ग्रिड संख्या–044 के अनुसार)

पत्रांक– सी–044 /बजट/2015–2016 लखनऊ :: दिनांक :: 29,फरवरी,2016

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–2016 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 2515 के अर्न्तगत 06–संग्रहीत जिला कार्यालय के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–9/678/38–3–2015–1105/2014 दिनॉक 30.अप्रैल,2015 एंव शासनादेश संख्या–15/1667/38–3–2015–1105/2014 दिनांक 31.08.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक ''2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर– 102–सामुदायिक विकास–06–संग्रहीत जिला कार्यालय के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति रूपये 131,21,71,000.00(रूपय एक सौ इकतीस करोड़ इक्कीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) में से अक्षेष धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलाटमेंट ग्रिड संख्या–001–C-044-Budget-2015-16 दिनांक 29-02-2016 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 68,16,486.00(रूपये अड़सठ लाख सोलह हजार चार सौ छियासी मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपको आवंटित की जाती है:–

1– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आक्श्यकता हो,उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अक्श्य प्राप्त कर ली जाय ।

2– यह अवगत कराना है कि वेतन,मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते मद में धनराशि बजट की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जा रही है। अतएव शासनादेश संख्या–बी–3–1497/ दस–2010–100(4) –ब0मै0–टी0सी0–II दिनांक 21.जून,2010 के अनुसार ग्रुपिंग व्यवस्था के अनुसार का आहरण सुनिश्चित करें।

3– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कडाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

4– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1 –1195/दस –16/94 दिनॉक 06जून,1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30.मार्च,2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखाशीर्षक''2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम –आयोजनेत्तर–पक्ष'' के अर्न्तगत संलग्नक मे दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक /प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेंगा ।

6— उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनेत्तर पक्ष)के पृष्ट संख्या 66 पर अंकित कर ली गयी है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम04)डी0डी0ओ0रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में आक्श्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनॉक का उल्लेख अक्श्य किया जाय ।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(राम प्रकाश पाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्रांक—सी—044 /बजट(1)/2015—16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश (संलग्न—ग्रिड संख्या—044 के अनुसार)
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3— विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग—3 ।
4— संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 ।
5— मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।(संलग्न—ग्रिड संख्या—044 के अनुसार)
6— गार्ड फाइल हेतु।

(राम प्रकाश पाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।